

प्रेस नोट दिनांक 12-02-2021

अवगत करना है कि आज दिनांक 12.02.2021 को थाना नकुड पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त मेमता पत्नी स्व० सतपाल निवासी ग्राम रणदेवी थाना नकुड सहारनपुर को 40 ली० अवैध कच्ची शराब के साथ ग्राम रणदेवी से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना नकुड पर मु०अ०सं० 61/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया है।

अभि० का नाम व पता:-

1. मेमता पत्नी स्व० सतपाल निवासी ग्राम रणदेवी थाना नकुड सहारनपुर

बरामदगी:

40 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र०नि० श्री किरनपाल सिंह
2. आबकारी निरीक्षक बिन्देश कुमार
3. उ०नि० श्री देवेश कुमार
4. आ०सि० गौरव खत्री
5. आ०सि० देवेन्द्र कुमार
6. कां० 363 राहुल
7. म०का० 565 सुनीता

प्रेस नोट दिनांक 12-02-2021

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 01 अभियुक्त के

विरुद्ध की गई जिलाबदर की कार्यवाही:-

अवगत कराना हैं, कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 01 अभियुक्त को धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुये जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिये निष्कासित किया गया हैं। निष्कासित किये गये अभियुक्तों का नाम व पता निम्नवत् हैं:-

❖ शमशेर पुत्र जरीफ निवासी ग्राम जन्धेडी थाना बेहट, सहारनपुर।